

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प० /2018/ १३

दिनांक : 26/12/2018

—: आदेश :—

निम्नांकित चिकित्सकों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक संस्था/2018/14931-32 दिनांक 18.12.18 के द्वारा कार्यमुक्त कर निदेशालय में भिजवाया गया, जिसकी पालना में चिकित्सकों द्वारा दिनांक 20.12.2018 को अपना उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को तुरन्त प्रभाव से प्रस्तुत करें :-

1. डॉ० धीरज सैनी, चि०अ०
2. डॉ० गौरव नैण, चि०अ०
3. डॉ० नवीन कुमार, चि०अ०
4. डॉ० विकास कुमार गर्ग, चि०अ०

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प० /2018/ १३

दिनांक : 26/12/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-संबंधित।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को लेख है कि उपरोक्त चिकित्सकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे।
5. संबंधित चिकित्सकों को आज मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत करें।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
7. निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।